रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D (D. N)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 4, 1986/पौष 14, 1907
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARRY 4, 1986/PAUSA 14, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1985

सा. नि. आ. 285 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज में सेक्शन मास्टर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज (सेक्शन मास्टर समूह "क" राजपत्रित) भर्ती नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
लेक्चरर मास्टर	*5 (1985) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित	700-40-900-द. रो.-40-1100-50-1300-रु.	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।	नहीं

सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अपेक्षित विषय (जिसे भर्ती के समय उपदर्शित किया जाएगा) में मास्टर की डिग्री या समतुल्य । (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से अध्ययन में डिग्री या डिप्लोमा या समतुल्य । (3) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव । टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी क्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । वांछनीय : (1) खेलों में प्रवीणता । (2) सैनिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय कैडेट कोर स्काउटिंग का अनुभव ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष और सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा ।
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति :— ऐसा मास्टर जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है ।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :— (1) अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (जी) —सदस्य (3) महानिदेशक सैनिक प्रशिक्षण सेवा मुख्यालय—सदस्य (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :— (1) संयुक्त सचिव—सदस्य (2) अपर महानिदेशक, सैनिक प्रशिक्षण सेना मुख्यालय—सदस्य टिप्पण :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	प्रोन्नति और सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 53401/जी एस/एम. टी-7]
एम. सी. जुनेजा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th December, 1985

S.R.O. 285.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Section Master in the Rashtriya Indian Military Collage, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Rashtriya Indian Military Collage (Section Master Group 'A' Gazetted) Recruitment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

Disqualification—No persons,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of the Post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Section Master	5 *(1985) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted.	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promottees	Period of probation, if any
7	8	9	10
No	Essential: (i) Master degree in the required subject (to be indicated at the time of recruitment) of a recognised University or equivalent. (ii) Degree or Diploma in teaching from a recognised University/Institution or equivalent. (iii) 5 years teaching experience in a recognised School. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: (i) Proficiency in games. (ii) Experience of Military Training/National Cadet Course Scouting.	Age : No Educational qualification : Yes	2 years probation for promottees and one year for direct recruits.

Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer grade from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13	14
By promotion failing which by direct recruitment	Promotion: Master with 3 years' Service in the rade rendering after appointment thereto on a regular basis.	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion. (i) Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman (ii) Joint Secretary(G)—Member. (iii) Director General of Military Training Army Headquarter—Member. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) (i) Joint Secretary—Chairman (ii) Additional Director General of Military—Member Training, Army Headquarter Note: The proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making promotion and direct recruitment.

[File No. 53401/GS/MT-7]
M. C. JUNEJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1985

का. नि. आ. 286.—यतः छावनी बोर्ड के सदस्यों को अवकाश प्रदान करने संबंधी एक प्ररूप, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड-4, तारीख 23 फरवरी, 1985 में, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 50 तारीख 30 जनवरी, 1985 के साथ प्रकाशित किया गया था और उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन की अवधि समाप्त होने तक उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना थी आक्षेप व सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त प्रारूप पर प्राप्त सभी आक्षेपों व सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 280 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा छावनी बोर्ड के सदस्यों को अवकाश प्रदान करने संबंधी निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) संक्षिप्त नाम : इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी बोर्ड के सदस्यों की छुट्टी मंजूरी नियम, 1985 है ।

(2) इनका विस्तार सभी छावनियों पर होगा ।

2. परिभाषाएं .—इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में एक विरुद्ध न हो,—

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम के अधीन गठित कोई छावनी बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अधिवेशन" में, अधिनियम की धारा 37 में यथा उपबंधित बोर्ड के सभी अधिवेशन सम्मिलित होंगे;

(घ) "सदस्य" में, कोई नाम निर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य भी होंगे और बोर्ड के स्वास्थ्य अधिकारी और कार्यपालक इंजीनियर भी होंगे;

(ङ) "कमान का मुख्य समादेशक अधिकारी" से किन्हीं ऐसी कमानों में से जिनमें सैनिक प्रयोजनों के लिए भारत तत्समय विभक्त है, किसी कमान का समादेशक अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई क्षेत्र आता है जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह अधिरोपित करे कि वह अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए राजपत्र में कमान है; और

(च) "अध्यक्ष" से, अधिनियम की धारा 20 के उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 2 के खण्ड (XXIV क) में यथा परिभाषित आस्थान समादेशक अधिकारी अभिप्रेत है ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों में सदस्यों की उपस्थिति :—कोई सदस्य, बोर्ड की अभिव्यक्त अनुमति के बिना, बोर्ड के अधिवेशनों से अनुपस्थित नहीं रहेगा ।

4. सदस्यों द्वारा अनुपस्थिति की अनुमति .—कोई सदस्य अध्यक्ष को, लिखित में आवेदन करके अनुपस्थिति की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा । अध्यक्ष आवेदन पर बोर्ड का आदेश लेगा :

परन्तु अध्यक्ष असाधारण परिस्थितियों में, अगले अधिवेशन में, बोर्ड द्वारा पुष्टि किए जाने के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य की छुट्टी मंजूर कर सकता है ।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, असाधारण परिस्थितियों के, अन्तर्गत, अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप से सदस्य द्वारा सिद्ध किए जाने वाली, अचानक रुग्णता सेवा की अत्यावश्यकता और व्यक्तिगत विशेषताएं भी हैं ।

5. अध्यक्ष द्वारा अनुपस्थिति की अनुमति : अध्यक्ष की दशा में, अनुपस्थिति की पूर्व अनुमति, कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी द्वारा मंजूर की जाएगी :

परन्तु जहां कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अध्यक्ष पूर्व अनुमति प्राप्त करने में, पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण से असमर्थ था तो वह अनुपस्थिति की अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से मंजूर कर सकता है ।

[फाइल संख्या : पी. सी. 12/6/सी./भू. व छा./82-6322/डी. (क्यू. एण्ड सी.)]

करतार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 17th December, 1985

S.R.O. 286.—Whereas a draft of certain rules relating to the grant of leave to Members of Cantonment Boards was published as required by Section 280 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 50, dated 30th January, 1985, in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated the 23rd February, 1985, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notification;

And whereas, all the objections and suggestions received have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (1) of sub-section (2) of section 280 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules relating to the grant of leave to Members of the Cantonment Board :—

1. Short title.—(1) These rules may be called the Grant of Leave to Members of Cantonment Board Rules, 1985.

(2) They shall extend to all Cantonments.

2. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(a) "Act" means the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924);

(b) "Board" means a Cantonment Board constituted under the Act ;

(c) "meetings" will include all the meetings of the Board as provided for in section 37 of the Act ;

(d) "Member' shall include a nominated or elected member and shall also include the Health Officer and the Executive Engineer of the Board ;

(e) "Officer Commanding-in-Chief, the Command" means the Officer Commanding any one of the Commands into which India is for military purposes for the time being divided and includes any area which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare to be a Command for all or any purposes of the Act; and

(f) "President" means the Officer Commanding the Station as defined in clause (xxiv a) of section 2 read with sub-sections (1) and (2) of section 20 of the Act.

3. Presence of the members at the meetings of the Board.—No Member shall absent himself from the meetings of the Board without the express leave of the Board.

4. Leave of absence by the Members.—A Member shall seek prior leave of absence from the Board by applying, in writing, to the president who shall obtain the orders of the Board on the application;

Provided that, in exceptional ciriumstances, the President may grant leave to a member subject to confirmation by the Board at the next meeting.

Explanation.—For the purpose of this rule exceptional circumstances will include sudden illness, exigencies of service and personal compulsions, to be established by the Member to the satisfaction of the President.

5. Leave of absence by the President.—In the case of the President, prior leave of absence shall be sanctioned by the Officer Commanding-in-Chief, the Command:

Provided that where the Officer Commanding-in-Chief the Command is satisfied that the President was unable for sufficient and reasonable cause to seek prior leave of absence, he may grant leave of absence ex-post-facto.

[File No. PC 12/6/C/L&C/82/-6322-/D(Q&C).]

KARTAR SINGH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986